पत्रांक–2ब० / जला०–01–77 / 2016 166 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 9/1/2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर पंचायत, कहलगाँव में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 7700 घरों में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹1700.279 लाख (सत्रह करोड़ सताईस हजार नौ सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद से दी जाने वाली 50 प्रतिशत राशि में से तत्काल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

नगर पंचायत, कहलगाँव में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं०–151, दिनांक– 25.09.2016 द्वारा कुल ₹649.22704 लाख (छः करोड़ उनचास लाख बाईस हजार सात सौ चार रू०) मात्र की योजना स्वीकृत की गई थी, जिसके विरूद्ध तीन चरणों में कुल ₹199.11191 लाख (एक करोड़ निनानवे लाख ग्यारह हजार एक सौ एकानवे रू०) मात्र राज्यांश मद की राशि आवंटित की जा चुकी है। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक– 744, दिनांक– 21.06.2019 एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कहलगाँव के पत्रांक– 511, दिनांक– 21.06.2019 द्वारा नगर पंचायत, कहलगाँव के भू–गर्भीय संरचना चट्टानी बताते हुए जलापूर्ति योजना में कठिनाई को देखते हुए यह कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, कहलगाँव में हर घर नल का जल निश्चय योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जाना है। योजना के अधीन कुल 10500 घरों में गृह जल संयोजन हेतु अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ट्यूबवेल अधिष्ठापन तथा Distribution Network के निर्माण के लिए कुल ₹2103.727 लाख (ईकीस करोड़ तीन लाख बहत्तर हजार सात सौ रू०) मात्र लागत व्यय का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सक्षम स्तर का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है। उक्त प्राक्कलन में विभागीय समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि योजना के प्राक्कलन में 10500 घरों में House Connection का प्रावधान किया गया है, जबकि 2011 के जनगणना के आधार पर 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के फलस्वरूप भी कुल 7700 घर ही आते है, इसलिए राशि कम किया जाय। इसके अतिरिक्त योजना में वाटर मीटर के शामिल प्रावधान को हटाया जा सकता है। चूँकि योजना के पूर्ण होने के

बाद इसे नगर निकाय को हस्तांतरित की जाएगी, इसलिए बिजली विपत्र का भुगतान भी नगर निकायों के द्वारा ही किया जाना अपेक्षित होगा। तदालोक में कुल प्राक्कलित राशि ₹2103.727 लाख (ईकीस करोड़ तीन लाख बहत्तर हजार सात सौ रू०) मात्र में से मात्र 7700 घरों में गृह जल संयोजन हेतु, SCADA की राशि, वाटर मीटर के लिए कर्णांकित राशि तथा बिजली विपत्र के राशि को हटाकर कुल संशोधित शेष राशि ₹1700.279 लाख (सत्रह करोड़ सताईस हजार नौ सौ रू०) मात्र आती है। इस प्रकार इस योजना पर ₹1700.279 लाख (सत्रह करोड़ सताईस हजार नौ सौ रू०) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। योजना के अन्तर्गत ट्यूबवेल अधिष्ठापन तथा Distribution Network के निर्माण कार्य पर निम्न तालिका के क्रमांक– 1 के सम्मुख स्तम्भ– 5 में अंकित राशि कुल ₹1700.279 लाख (सत्रह करोड़ सताईस हजार नौ सौ रू०) मात्र के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की गई है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना से अच्छादित होने वाले संशोधित घरों की संख्या	PHED द्वारा प्राक्कलित एवं तकनीकी अनुमोदित राशि	समीक्षोपरांत विभागीय तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, नगर पंचायत, कहलगाँव	7700	2103.727	1700.279

3. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, कहलगाँव में उक्त जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न तालिका के अनुसार प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	राज्यांश मद से आवंटित की जाने वाली राशि (50 प्रतिशत)	तत्काल स्वीकृत राशि	नगर पंचायत, कहलगाँव को पूर्व से राज्यांश मद में आवंटित राशि	राज्यांश मद की अवशेष राशि (4–5–6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
नगर पंचायत, कहलगाँव	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, नगर पंचायत, कहलगाँव	1700.279	850.1395	300.00	199.11191	351.0276
	कुल योग	**1700.279**	**850.1395**	**300.00**	**199.11191**	**351.0276**

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रू०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 687, दिनांक– 19.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी। **प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर पंचायत, कहलगाँव के PL**

खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कहलगाँव द्वारा कार्यकारी एजेंसी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।

5. कंडिका– 3 की तालिका के स्तम्भ– 6 में अंकित, पूर्व में नगर पंचायत कहलगांव को राज्य योजना मद से आवंटित राशि का हस्तांतरण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को योजना का कार्यारम्भ करने एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर किया जाएगा।

6 राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8 योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. उक्त स्वीकृत राशि ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रू०) मात्र में से ₹200.00 लाख (दो करोड़ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–193– नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2215011930101,** विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण से किया जाएगा।

शेष राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उप शीर्ष 0103– पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, **विपत्र कोड– 48-2215017890103,** विषय शीर्ष 0103.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जाएगी।

10. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, विभाग का नाम, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा दिनांक– 22.11.2019 की बैठक में अनुशंसा की गई, जिसकी स्वीकृति माननीय विभागीय मंत्री द्वारा संचिका सं०– 2ब०/जला०–01–77/2016 के पृष्ठ– 28/टि० पर दिनांक– 10.12.2019 को तथा माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री द्वारा पृष्ठ– 33/टि० पर दिनांक– 24.12.2019 को प्रदान की गई।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/जला०–01–77/2016 के पृष्ठ सं०–.. ......36........./टि० पर दिनांक–09.01.2020 को प्राप्त है।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कहलगाँव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

09.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–77/2016 166 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–9/1/2020

प्रतिलिपि:– सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल,/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कहलगाँव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय योजना)/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/ विभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०एस० को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.01.20

सरकार के विशेष सचिव।